उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या- 143/2022/537/22-27-सिं0-4-145(डब्ल्यू)/94 टी.सी.

लखनऊ दिनांक 06 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के सेक्शन 11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर, बांध से सम्बन्धित राज्य समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम बांध की विफलता से सम्बन्धित अपदाओं के रोकथाम के लिए राज्य में बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्राविधान दिनांक 28.12.2021 की अधिसूचना के तहत दिनांक 30.12.2021 से प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 139 बांध है, जिसमें सोन संगठन वाराणसी में 68, सरयू परियोजना-2 गोण्डा में 11 बेतवा संगठन झांसी में 38, बेतवा परियोजना झांसी में 15, शारदा संगठन बरेली में 04, पूर्वी गंगा संगठन मुरादाबाद में 03 अत: बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अध्याय-V धारा-14 के अन्तर्गत State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन का प्राविधान किया गया है। State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-204/प्र0अ0/SDSO, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा शासन में प्रेषित किया गया है, उक्त प्रस्तावानुसार State Dam Safety Organization (SDSO) का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष			
मुख्य अभियन्ता स्तर-1(परिकल्प एवं शोध)			
पद नाम			अभ्युक्ति
मुख्य अभियन्ता (बांध सुरक्षा)			
अधीक्षण अभियन्ता (रूहेलखण्ड), बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ।	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) एवं आहरण-वितरण अधिकारी, बांध सुरक्षा खण्ड-1, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय 3. अवर अभियन्ता (सिविल), प्रथम 4. अवर अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	शारदा एवं पूर्वीगंगा संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/ अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य एवं मुख्यालय के अन्य कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), बांध सुरक्षा खण्ड-2, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	
अधीक्षण अभियन्ता (विन्ध्याचल), बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ।	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड-3, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	सोन एवं सरयू परियोजना-2 संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड-4 लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	
	(ग) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), बांध सुरक्षा खण्ड-5 , लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	
अधीक्षण अभियन्ता (बुन्देलखण्ड), बांध सुरक्षा मण्डल, लखनऊ	(क) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड-6, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	बेतवा एवं बेतवा परियोजना संगठन के अन्तर्गत बांधों का निरीक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।
	(ख) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), बांध सुरक्षा खण्ड-7, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (सिविल), द्वितीय	
	(ग) अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), बांध सुरक्षा खण्ड-8, लखनऊ।	1. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), प्रथम 2. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), द्वितीय	

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरोक्त पदों की व्यवस्था प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से विभाग में उपलब्ध पदों में से की जायेगी।

2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त State Dam Safety Organization (SDSO) के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संख्या- 143/2022/537(1)/22-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध0शा0 पत्र संख्या-N-52011/1/2021-BM, दिनांक 01 फरवरी, 2022 तथा पत्र संख्या–R-22012/2/2022-Pen Riv, दिनांक 31 मार्च, 2022 के क्रम में।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ, डा0 राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in